समाचार-प्रकाशनार्थ:-

होम आईसोलेशन मरीजों को में इ सन कट का वतरण 112 मरीजों को कया में इ सन कट का वतरण

रतलाम 02 मई। को वड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को में ड सन कट व स्वास्थ्य वभाग के निर्देशों की प्रति की होम डलेवरी कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजो के घर जाकर में डकल कट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 02 मई र ववार को होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची स्वास्थ्य अधकारी श्री ए.पी. संह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 142 में इसन कट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन वभाग में उपलब्ध कराई। अग्निशमन वभाग से वार्ड वार गठित दलो वतरण हेत् उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलो द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजो के घर-घर जाकर में डकल कट का वतरण कया गया जिसके तहत सूची अनुसार 112 मरीजो को में डकल कट का वतरण घर पर कया गया। 11 मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गयाए 5 मरीजो के कान्टेक्ट नम्बर व पते गलत पाये गये तथा 9 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 10 मरीजो को पूर्व से ही में ड सन कट प्राप्त होना पाया गया।

नगर में प्रतिदिन कया जा रहा है सेनेटाईजेशन नगर के व भन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से कया सेनेटाईज

रतलाम 02 मई। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डयम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज कया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टे क्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कोंए ग लयोंए भवन आदि को 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज कया जा रहा है। 02 मई को फायर लॉरी व टे क्टर ट्रॉली से में डकल कालेजए माली कुआंए शांति नगरए अलकापुरीए रिद्धी-सद्धी कालोनीए डोंगरे नगरए बिरियाखेड़ीए मुखर्जी नगरए बसंत कॉलोनीए अमृत सागर कालोनीए हरमाला रोडए सैफी नगर सिहत नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन कया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से में डकल कॉलेजए माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रए कलेक्टोरेटए ई-दक्ष कार्यालयए नगर निगम कार्यालय सिहत शासकीय कार्यालयों आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य कया गया। नगर के सेनेटराईज कये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य कया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व ना लयों में कीटनाशक दवा का

मे डकल कॉलेज में ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय निरंतर जारी

छिड़काव कया जा रहा है।

रतलाम 02 मई। शासकीय में डकल कॉलेज में उपचारत् को वड-19 के मरीजों को कसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार मालवा व महावीर ऑक्सीजन से सलेण्डर में डकल कॉलेज में पंहूचाने का कार्य प्रतिदिन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा नियुक्त अ धकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कया जा रहा है साथ ही इस कार्य में सतत् निगरानी भी रखी जा रही है।

नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय के अलावा में डकल कॉलेज के सुवधाघरों की सफाई के कार्य पर निगम अ धकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सत्त निगरानी रखी जा रही है इसके अलावा प्रतिदिन में डकल कॉलेज में सेनेटाईजेशन के कार्य हेतु कर्मचारी नियुक्त कया गया है जो में डकल कॉलेज के अंदर व बाहर सेनेटाईजेशन का कार्य संपादित कर रहे है।

गीला व सूखा कचरा सीधे जायेगा बिरियाखेड़ी ट्रांसफर स्टेशन तीन ट्रांसफर स्टेशनों को कया बंद

रतलाम 02 मई। निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से एकत्रित कये गये गीले व सूखे कचरे को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अमृत सागरए पोलोग्राउण्डए ईश्वर नगर ट्रांसफर स्टेशनों पर नहीं ले जाते हुए सीधे बिरियाखेड़ी ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वास्थ्य अ धकारीए झोन प्रभारीए वार्ड प्रभारीए कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों को निर्दे शत कया है क वे घर-घर से एकत्रित कये गये गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक अवस्था में अमृत सागरए पोलोग्राउण्डए ईश्वर नगर ट्रांसफर स्टेशनों पर नहीं ले जाते हुए सीधे बिरियाखेड़ी ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जायेगा जहां 1 काम्पेक्टर में गीला व दूसरे काम्पेक्टर में सूखा कचरा डाला जायेगा। काम्पेक्टर द्वारा पृथक-पृथक कचरे को जुलवानिया प्रोसे संग यूनिट पर लाया जायेगा जहां कचरे का वजन के उपरांत गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक निर्धारित स्थान पर डाला जायेगा। जहां पर रैग पकर्स महिलाओं द्वारा सूखे कचरे में से पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि को पृथक कया जावेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिये है क यदि कोई भी कर्मचारी ट्रांसफर स्टेशन पर कचरा डालते पाया गया तो सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जावेगी। गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 02 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है

मास्क नहीं लगाने पर 6 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 02 मई। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार को वड-19 ;नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत नगर के व भन्न स्थानों पर

6 ऐसे व्यक्ति जिन्होने मास्क नहीं लगाया था उन पर 100.100 रूपये का जुर्माना कर मास्क लगाने की समझाईश दी गई।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनयम-1949 के अन्तर्गत को वड-19 ;नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधसू चत कया गया है। उक्त बीमारी संक्रमत वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमत व्यक्ति के छींकनेए खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य कया गया है। नागरिकों से अपील है क वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 02 मई। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 02 मई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार रज.सं. व. हेमन्त ∕०२ण्०५ण्२०२१६न.पा.निगमए रतलाम.